मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्र.एफ 44-46/2000/20-2 भोपाल, दि. 25.1.2001

प्रति,

समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत/जनपद पंचायत,
म.प्र. ।

विषय:- प्रदेश में ग्राम स्वराज व्यवस्था लागू करने बाबद ग्राम सभा/ग्राम पंचायत को सौंपे कार्य ।

-0-

प्रदेश में ग्राम स्वराज व्यवस्था दिनांक 26 जनवरी 2001 से लागू की जा रही है ।

2/ इस संदर्भ में इस विभाग के पत्र क्र.एफ 44/63/85/20-2/94, दिनांक 16/19 अगस्त, 94 एवं 44/65/83/बी-2/20, दिनांक 30.10.96 में संशोधन करते हुए निम्न शालेय गतिविधियों को "ग्राम सभा/ग्राम पंचायत" को सौंपा जाता है :-

(1) ग्राम सभा :-

(अ) ग्राम की समस्त शालाओं की प्रबंधकीय व्यवस्था :-

1. विद्यालय भवन की मरम्मत साफ-सफाई एवं रख-रखाव ।
2. विद्यालय में बैठने के लिए फर्नीचर टाट पट्टी आदि ।
3. शाला स्टाफ ।
4. खेल मैदान की व्यवस्था ।
5. पर्यावरण संरक्षण वृक्षारोपण आदि ।
6. पेयजल व्यवस्था तथा शौचालय निर्माण ।
7. शाला शिक्षा समिति का गठन ।

(ब) शालेय गतिविधियों का संचालन :-

1. शिक्षकों व विद्यार्थियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करना ।
2.
3.

निरन्तर/2

2. विद्यालयों में नियमित अध्यापन सुनिश्चित करना ।
3. शाला विकास से संबंधित समस्त कार्य करना ।
4. केन्द्रीय एवं राज्य शासन की योजनाओं की प्रगति एवं क्रियान्वयन की समीक्षा करना ।
5. विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों को प्रोत्साहन देना ।
6. शासकीय अशासकीय निधि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करना ।
7. छात्र संख्या वृद्धि अभियान चलाना एवं उसमें प्रगति करना ।
8. शिक्षा के लोकव्यापीकरण का जन-जन तक प्रसार करना ।
9. निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था एवं वितरण ।
10. छात्रवृत्तियों का वितरण ।
11. ग्राम पुस्तकालय की व्यवस्था करना ।
12. विद्यालय के अमले का कार्यकारी नियंत्रण अनुशासिक प्राधिकारी के रूप में ।
13. शाला उप कर की वसूली ।

§2§ **ग्राम पंचायत:-**

1. ग्राम पंचायत स्तर पर शालेय गतिविधियों का समन्वय करना ।
2. ग्राम पंचायत में शालेय गतिविधियों के लिये प्राप्त धन राशि का ग्राम कोष में शासन के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार अंतरण करना ।

उक्त व्यवस्था दिनांक 26 जनवरी,2001 से लागू होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता/-
§ आर०के०तिवारी §
उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन,स्कूल शिक्षा विभाग

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

पृ०क्र०/योजना/एफ/172/2000/ 664 भोपाल,दिनांक 1/2/2001

प्रतिलिपि:-

1/ समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,मध्यप्रदेश ।
2/ समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत,मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अपर संचालक
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश

(145) 26

**मध्यप्रदेश शासन**
**स्कूल शिक्षा विभाग**
**मंत्रालय, वल्लभ भवन,**
**भोपाल.**

क्रमांक/839/927/20-2/2002 भोपाल, दिनांक 8·3·2002

## आदेश

शासन के आदेश क्रमांक 543/सचिव प्रारंभिक शिक्षा/2001/दिनांक 5.9.2001 के परिपालन में प्रदेश में अप्रशिक्षित शिक्षकों का बैक लॉग दूर करने के लिए शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों की समस्त निर्धारित सीट्स विभाग के शिक्षकों/व्याख्याता आदि के लिए आरक्षित रखी गई है। इन सीट्स के लिए चयन के मापदण्ड व प्रक्रिया निम्नानुसार होगी –

❖ चयन प्रक्रिया–

1. जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी/आदिम जाति शिक्षा विभाग वरिष्ठता के आधार पर अप्रशिक्षित व्याख्याताओं,शिक्षकों एवं सहायक शिक्षकों की सूची निर्धारित सीट्स से 10% अधिक की संख्या में बनाकर संबंधित शिक्षा महाविद्यालय में भेजेंगे।अंतिम सूची महाविद्यालय द्वारा वरिष्ठता के आधार पर तैयार की जावेंगी।
2. **किसी भी ऐसे** अभ्यार्थी को जिसने पूर्व में शासकीय व्यय पर बी.टी.आई से प्रशिक्षण प्राप्त किया है_को बी.एड प्रशिक्षण हेतु नहीं भेजा जावेगा।
3. **प्रशिक्षण** प्राप्त करने हेतु अधिकतम आयु 1 अप्रैल 2002 को 50 वर्ष से कम होना चाहिए।
4. बी.एड प्रशिक्षण प्राप्त करने के पूर्व प्रशिक्षणार्थी को किसी भी विषय में त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य है।
5. ऐसे व्याख्याता,शिक्षक,सहायक शिक्षक, शिक्षाकर्मी वर्ग 1,2,3 जो क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय के बी.एड में प्रशिक्षणरत हो या नहीं का एक वर्ष का ग्रीष्मकालीन कोर्स कर चुके हों को प्रशिक्षण में न भेजा जाए।

❖ समयावधि –

1. प्राचार्य महाविद्यालय द्वारा प्रशिक्षण हेतु भेजे जाने वाले शिक्षकों के आदेश इस प्रकार निकाले जाये कि प्रशिक्षणार्थी 20 जून तक अनिवार्य रूप से संबंधित शासकीय शिक्षा महाविद्यालय में उपस्थित हो जाएं, जहाँ उन्हें प्रशिक्षण हेतु भेजा गया है।
2. दिनांक 25 जून के पश्चात प्रवेश की स्थिति से संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया जाए तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु वरिष्ठता क्रम में अभ्यार्थियों को भेजा जाएँ।

❖ स्वीकृत सीट्स का विवरण–

| | |
|---|---|
| – व्याख्याता / शिक्षाकर्मी वर्ग 1 | 10% |
| – शिक्षक / शिक्षाकर्मी वर्ग 2 | 40% |
| – सहा.शिक्षक / शिक्षाकर्मी वर्ग 3 | 50% |

... शा. शिक्षा महाविद्यालयों में स्कूल शिक्षा विभाग व आदिमजाति ...
का निर्धारण निम्नानुसार रहेगा–

| स0क | शा.शिक्षा महाविद्यालय का नाम | एन.सी.टी.ई. द्वारा कुल निर्धारित सीट्स | शिक्षा विभाग के लिए निर्धारित सीट्स | आदिम जाति कल्याण विभाग के लिए निर्धारित सीट्स |
|---|---|---|---|---|
| 1 | भोपाल | 120 | 95 | 25 |
| 2 | ग्वालियर | 130 | 120 | 10 |
| 3 | उज्जैन | 170 | 140 | 30 |
| 4 | रीवा | 140 | 115 | 25 |
| 5 | खण्डवा | 120 | 95 | 25 |
| 6 | देवास | 120 | 80 | 40 |
| 7 | छतरपुर | 120 | 100 | 20 |
| 8 | जबलपुर | 215 | 160 | 55 |
| 9 | राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर | 100 | 70 | 30 |
| | **योग** | 1235 | 975 | 260 |

- यदि आदिम जाति कल्याण विभाग से निर्धारित संख्या में **प्रशिक्षणार्थी** उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो उन्हें **स्कूल** शिक्षा विभाग से भरा जावे।
- **स्थानान्तरण नीति–**

**प्रशिक्षणार्थियों** के महाविद्यालय में प्रवेश लेने के उपरान्त, परिवर्तन करने के संबंध में सामान्य नीति **महाविद्यालय** परिवर्तन नही करने की होगी। **केवल विशेष परिस्थितियों** में **प्रवेश** ले चुके **प्रशिक्षणार्थियों** के **महाविद्यालय** परिवर्तन दोनों प्राचार्यो की **सहमति के आधार पर** संचालक म0प्र0 राज्य शैक्षिक अनुसंधान और **प्रशिक्षण परिषद्** के आदेश से किए जा सकेगें ।**विशेष परिस्थिति में भी स्थानान्तर** 30 अगस्त के उपरांत नहीं **किए जायेंगे।**

**शासकीय शिक्षा** महाविद्यालय में प्रवेश उपरान्त निम्नानुसार शुल्क देय होगें–

| कमांक | मद का विवरण | राशि |
|---|---|---|
| 1 | खेलकूद शारीरिक शिक्षा | 20.00 |
| 2 | मूल्यांकन जांच एवं स्थानीय परीक्षा | 20.00 |
| 3 | विज्ञान एवं मनोविज्ञान सामग्री उपकरण | 20.00 |
| 4 | कार्यानुभव | 10.00 |
| 5 | वाचनालय , बुलेटिन पत्रिका एवं अन्य प्रकाशन | 50.00 |
| 6 | पुस्तकालय काशन मनी | 100.00 |
| 7 | वि.विद्यालय कीड़ा/सांस्कृतिक | 20.00 |
| 8 | शिक्षण शुल्क | 120.00 |
| | **योग** | **360.00** |
| 9 | छात्रावास काशनमनी | 200.00 |
| | **महायोग** | **560.00** |

महाविद्यालयों से संबंधित जिलों के नाम

| क. | शिक्षा महाविद्यालय का नाम | संबंधित जिलों के नाम |
|---|---|---|
| 1 | शासकीय शिक्षा महाविद्यालय उज्जैन | उज्जैन,रतलाम,मंदसौर,शाजापुर,नीमच |
| 2 | शासकीय शिक्षा महाविद्यालय देवास | देवास इन्दौर,झाबुआ,धार |
| 3 | शासकीय शिक्षा महाविद्यालय खण्डवा | खण्डवा,खरगोन,बडवानी,हरदा,होशंगाबाद |
| 4 | शासकीय शिक्षा महाविद्यालय भोपाल | भोपाल,रायसेन,राजगढ,विदिशा,बैतूल,सीहोर, |
| 5<br>6 | शासकीय शिक्षा महाविद्यालय जबलपुर<br>राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर<br>(केवल विज्ञान संकाय के लिए) | जबलपुर,सिवनी,बालाघाट,मण्डला<br>डिंडोरी,कटनी,छिन्दवाड़ा,नरसिंहपुर |
| 7 | शासकीय शिक्षा महाविद्यालय छतरपुर | छतरपुर,सागर,दमोह,टीकमगढ पन्ना |
| 8 | शासकीय शिक्षा महाविद्यालय रीवा | रीवा,सतना,शहडोल,सीधी,उमरिया |
| 9 | शासकीय शिक्षा महाविद्यालय ग्वालियर | ग्वालियर,गुना,शिवपुरी,दतिया,<br>भिण्ड,मुरैना,श्योपुर, |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(यू.के. सामल) 28/2/2002
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल.

क्रमांक /839/927/20-2/2002 भोपाल, दिनांक – 8-3-2002

प्रतिलिपि:–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. सचिव, माननीय शिक्षा मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
3. सचिव, प्रारंभिक शिक्षा व मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, भोपाल।
4. आयुक्त लोक शिक्षण, म.प्र. गौतम नगर, भोपाल।
5. आयुक्त आदिवासी विकास, म.प्र. दूसरी मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
6. संचालक, म.प्र. राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, भोपाल।
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र.
8. संचालक, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर।
9. प्राचार्य,शास.शिक्षा महाविद्यालय म0प्र0.
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म0प्र0.

प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
म.प्र., भोपाल